न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

प्रार्थना प0ः—9/2015/39 (2) (ए) दीवानी प्रक्रियासंहिता 1908 (2015/00326)

1. गौरवसिंह पुत्र श्री बीजासिंह पौत्र स्व0 श्री जेठू सिंह जाति रावत निवासी ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर।

प्रार्थी

बनाम

1. पवन जैन पुत्र श्री गोविन्द जैन
2. गौरव जैन पुत्र श्री पवन जैन
   जाति जैन (महाजन) निवासीगण बाजे वाली गली केसरगंज अजमेर
3. मोहनसिंह पुत्र श्री बीरमसिंह जाति रावत निवासी ग्राम सैंदरिया तहसील व जिला अजमेर (जे0सी0बी0 मालिक)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम (2) (ए) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री एन0के0जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
3. रेस्पोडेंट संख्या 3 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः— 06.11.2025

1. यह प्रार्थना पत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 605/2012 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण संख्या 162/2012 गौरव सिंह बनाम बींजा सिंह राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 162/2012 में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2012 की क्रियान्विति को स्थगित किया गया तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 का दो माह में उभयपक्षों को जवाब व सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करे। अतः प्रार्थना पत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 605/2012 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2012 से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस/प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान द्वारा ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर अवस्थित वर्किंग खाता संख्या 110 के वर्किंग खसरा नम्बर

233 रकबा 01–02–10 कृषि भूमि बाबत एक राजस्व वाद संख्या 167/2012 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 162/12 गौरवसिंह व अन्य बनाम बींजा सिंह व अन्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जो आज दिवस तक विचाराधीन होकर आगामी पेशी में नियत है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि बाबत प्रार्थी द्वारा एक अपील संख्या 605/2012 दिनांक 24.08.2012 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे आदेश दिनांक 24.08.2012 द्वारा स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि को रहन, बय, मुंतकिल नहीं किए जाने तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात दो माह में निर्णय किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित की गई। न्यायालय के आदेश दिनांक 24.08.2012 की पालना में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.09.2012 को जरिए अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा गया, परंतु निरंतर समय प्राप्त किए जाने के उपरांत आज दिवस तक किसी प्रकार से जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पिता/पुत्र होकर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2012 की विधिवत जानकारी रही है, इसके उपरांत भी आए दिन विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग कर तथा न्यायालय के आदेश दिनांक 24.08.2012 की अवहेलना एवं अवमानना करते हुए मौके पर अतिक्रमण/अतिचार कर निर्माण किए जाने पर आमादा है। जिस संबंध में दिनांक 19.05.2013 को भी असफल प्रयास किया गया, जिस पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.05.2013 को पुलिस थाना आदर्श नगर अजमेर के समक्ष रिपोर्ट दर्ज करवाए जाने पर अविधिक कार्य को रोका गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 03 की जे0सी0बी एवं डम्पर संख्या आर0जे0 01 जी0 855 को लेकर दिनांक 10.01.2015 को प्रातः 9 बजे मौके पर आए तथा मिट्टी से विवादित भूमि पर भरती किए जाने का प्रयास किया, जिस प्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेश से अवगत करवाते हुए अविधिक कार्य किए जाने से रोके जाने का प्रयास किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा आदेश दिनांक 24.08.2012 को मानने से इंकार करते हुए अविधिक कृत्य किए जाने पर उतारू हो गए। अप्रार्थीगण द्वारा अविधिक कृत्य किए जाने पर डटे रहने तथा लडाई झगडा करने पर उतारू होने के कारण प्रार्थी द्वारा उक्त आशय की लिखित रिपोर्ट दिनांक 10.01.2015 को पुलिस थाना आदर्शनगर अजमेर में प्रस्तुत किए जाने पर पुलिस द्वारा अप्रार्थीगण को अविधिक कृत्य से रोका गया, परंतु न्यायालय द्वारा थानाधिकारी आदर्शनगर अजमेर के नाम आदेश होने पर ही भविष्य में कार्यवाही किए जाने का मौखिक निर्देश दिया गया। अप्रार्थीगण एवं आम जनता से न्यायालय के आदेशों का भय समाप्त हो जावेगा तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी। अतः न्यायालय का भय कायम रखने के लिए एवं माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 24.08.2012 की अवमानना एवं अवहेलना के लिए अप्रार्थीगण को आर्थिक एवं सिविल कारावास से दण्डित किए जाने हेतु यह अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा विधिवत जानकारी होने के उपरांत भी जानबूझकर दुर्भावनापूर्वक न्यायालय के आदेश दिनांक 24.08.2012 की अवमानना एवं अवहेलना किए जाने के लिए पूर्णतया उत्तरदायी है। अतः अप्रार्थीगण को सिविल कारावास एवं आर्थिक दण्ड से दण्डित किए जाने हेतु यह अवमानना प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी

द्वारा प्रस्तुत कन्टेम्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी को न्यायालय हाजा के स्थगन आदेश दिनांक 24.08.2012 की अवमानना कारित करने की कठोर सजा से दण्डित फरमाने का आदेश प्रदान करावे।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद संख्या 167/2012 प्रस्तुत किया जाना दर्शाया जब कि राजस्व वाद में अप्रार्थी संख्या 1 पवन कुमार जैन को पक्षकार ही नहीं बनाया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अप्रार्थी संख्या 1 पक्षकार नहीं है जब कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अधीनसि न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में पक्षकार बनाए जाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 20.04. 2015 को ही प्रस्तुत किया गया जो कि आज भी विचाराधीन है, आवेदनकर्ता के द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जब कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 24.08.2012 की कभी किसी प्रकार से अवमानना ही नहीं की गई, न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.08.2012 अपील संख्या 605/2012 कि जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 पक्षकार ही नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध कोई आदेश ही जारी नहीं है एवं आदेश दिनांक 24.08.2012 जो कि माननीय न्यायालय द्वारा एकपक्षीय तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को बिना सूचित किए आदेश पारित किया गया कि जिसकी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को कोई जानकारी नहीं रही जब कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को न्यायालय के द्वारा दिनांक 24.08.2012 की उक्त प्रकरण के नोटिस दिनांक 17.3.2015 के प्राप्त होने पर ही हुई कि इससे पूर्व कोई जानकारी नहीं थी। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा खसरा नम्बर 233 का भाग भूखण्ड क्षेत्रफल 725.30 वर्गगज जो कि बींजा, मुन्नासिंह एवं पांचू पुत्रगण जेठू से दिनांक 17.01.2006 को जरिए इकरारनामा के क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, इकरारनामा के साथ साथ ही मुख्त्यारनामा आम एवं वसीयतनामा भी अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किए गए तत्पश्चात दिनांक 03.06.2011 को ही अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन कर पंजीयन करवा दिया गया एवं उसी समय भूखण्ड पर चार दिवारी कर निर्माण भी करवाया गया तथा भूखण्ड पर कबाडा प्लास्टिक पीवीसी, के बिल वायर एवं अन्य सामान रखने के उपयोग में लिया जाता रहा है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 233 का भाग 166.66 वर्गगज के भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या 2 गौरव जैन के द्वारा जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 24.01.2006 के बींजा मुन्नासिंह एवं पांचू पुत्रगण जेठू से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा गौरव धर्मकांटा का निर्माण कर व्यवसाय किया जाता रहा है। इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा खरीदशुदा भूखण्ड पर जो भी निर्माण करवाया गया वह न्यायालय के आदेश दिनांक 24.08.2012 के पूर्व का है कि जिसे अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को निर्माण करवाए जाने में कोई बाधित, आदेश पाबंद ही नहीं थे, इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांक 24.08.2012 कि जिसकी कोई सूचना नहीं दी गई, किसी प्रकार की अवमानना हीं नहीं की गई। आवेदन पत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित कथन जो कि आदेश दिनांक 24.08.2012 से संबंधित है परंतु आदेश दिनांक 24.08.2012 जो

कि एकपक्षीय आदेश, अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को बिना सूचना दिए पारित किया कि जिसकी अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को कोई जानकारी नहीं रही जब कि जवाब आवेदन पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णितानुसार अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा न्यायालय के आदेश की कभी किसी प्रकार से कोई अवमानना ही नहीं की गई बल्कि आवेदनकर्ता के द्वारा झूठे कथनों के आधार पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को परेशान करने की नियत से उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 24.08.2012 के संदर्भ में कोई सूचना नोटिस जारी नहीं किए गए एक पक्षीय आदेश पारित किया, अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को आदेश के संदर्भ में कोई सूचना ही नहीं दी गई जैसा कि जवाब आवेदन पत्र के उपरोक्त पैरा में उल्लेख किया जा चुका है, इसी पैरा में दर्शाए कथन कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना की गई हो, मौके पर अतिक्रमण किया गया हो, तथ्य गलत होने से अस्वीकार है, जब कि जवाब आवेदन पत्र के उक्त पैरा में उल्लेख किया गया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा जरिए विक्रय पत्र के क्रय की गई तथा जो भी निर्माण किया गया वह दिनांक 24.08.2012 के पूर्व से ही किया जा चुका था, इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा न्यायालय के आदेश की किसी भी प्रकार से कोई अवमानना नहीं की गई एवं इसी पैरा में दशाए कथन कि दिनांक 19.05.2013 को प्रार्थी के द्वारा पुलिस थाना आदर्श नगर अजमेर के समक्ष रिपोर्ट दर्ज करवाई गई हो कथन गलत होने से अस्वीकार है जब कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रथम सूचना संख्या 484/2013 अंतर्गत धारा 418, 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत दिनांक 01.11.2013 को पांचू सिंह पुत्र जेठू सिंह व उसकी पत्नी संपत्ति देवीपत्नी पांचूसिंह व अन्य के विरूद्ध फर्जी एवं कूटरचित बख्शीश नामे के संदर्भ में प्रथम सूचना दर्ज करवाई गई। जैसा कि जवाब आवेदन पत्र के उपरोक्त पैरा में उल्लेख किया जा चुका है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा न्यायालय के आदेश की कभी किसी भी प्रकार से कोई अवमानना ही नहीं की गई, उक्त आवेदन पत्र मिथ्या एवं निराधार कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा न्यायालय के आदेश की कभी किसी भी प्रकार से कोई अवमानना ही नहीं की गई। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2012 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। हाजा न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलांट की बहस सुनते हुए प्रकरण को दिनांक 24.08.2012 को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि वह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर उभयपक्षों को जवाब एवं सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय दो माह में पारित करे, तब तक दोनों पक्ष विवादित आराजीयात खाता संख्या 110 के खसरा नम्बर 233 रकबा 1–2–10 वाकै ग्राम माखुपुरा तहसील व जिला अजमेर की राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखे। आदेश दिनांक 24.08.2012 की अवहेलना

अप्रार्थीगण द्वारा किए जाने से असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 24.08.2012 की पालना हेतु हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 14.01.2015 को थानाधिकारी आदर्श नगर, अजमेर को पालनार्थ हेतु पत्र जारी कर आदेशित भी किया गया था, परंतु थानाधिकारी आदर्श नगर द्वारा भी ऐसी कोई रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की अप्रार्थीगण द्वारा अवहेलना की जा रही है। हाजा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित कर तहसीलदार, अजमेर को स्थगन तहरीर भी जारी की जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार, अजमेर के समक्ष किस प्रकार की सक्षम कार्यवाही की गई इस संबंध में प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट में कहे गए कथन से व प्रस्तुत दस्तावेजात से किसी भी प्रकार यह दृष्टिगत नहीं होता है कि अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना की गई हो। चूंकि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता हो की अप्रार्थी द्वारा किस प्रकार से राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बाबत परिवर्तन कर हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 24.08.2012 की अवहेलना की गई हो। अतः प्रार्थी द्वारा कहे गए कथन मौखिक है जिसमें किसी प्रकार की प्रमाणिकता नहीं पाई जाती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम (2) (ए) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 खारिज किए जाने योग्य है।

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम (2) (ए) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 06.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर